

# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

राज किशोर सिंह मुण्डा बनाम मंगल सिंह मुण्डा कोर्ट

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम..... १२७ / २०१७ धारा-१०७ द०प्र०सं० थाना प्रभारी तमाङ्क के अप्राथमिकी सं०-३७/१७ दिनांक-२५/०९/१७ प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि अमीनी विवाह एवान्ग-४०-एन्ट ४८३-०८ ई० को लेकर उभय पक्ष में विवाह त्रै</p>	

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-१०७ के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि २५-०९-१७ को उपस्थापित करें।  
लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
बुण्डू।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
बुण्डू।

25-09-17  
 २५०९१७  
 ०१, ०२, ०३  
 ०५ २५०९१७  
 १६-१०-१७ का रखी  
 १६/१०/१७  
 २५०९१७

१६/१०

पृष्ठा सं०-

तिथि

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

19-02-18

आमलेरा उपर्याप्ति । प्रबन्ध पन  
 आधिकारा दाखी दिलाप पन क्लान  
 04 उपर्याप्ति अस्य आधिकारा दाखी ।  
 उभय पन वजाब दाखिल करी दिलाक

16-03-18 को २२वीं

4  
19/3/18

16-03-18

पीठालीन पदाधिकारी नगा पंचापत चुलाव  
 काळ में आहु । दिनांक 02-04-18 ई  
 २२वीं ।

02-04-18

पीठालीन पदाधिकारी नगा पंचापत चुलाव  
 काळ में आहु । दिनांक 23-04-18 ई २२वीं ।

23-04-18

आमलेरा उपर्याप्ति । प्रबन्ध पन  
 आधिकारा दाखी दिलाप पन क्लान  
 01, 04 उपर्याप्ति अस्य आधिकारा

पुस्तकालय

प्रिया

आदेश पुस्तकालयकारी का छरतार

दावरी । उक्त बाद से ६(६)मास  
की अवधि तक ही इकट्ठे होनी चाहीए  
बाद कालाकारी दो ग्राह द्विमास बाद  
से आगेरा की कारवाई बदल की  
जाएगी।

४  
२३/५/१८